कार्यालय नियंत्रक
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री
भोपाल

क्रमांक जी0बी05(19)2015/ २०८८ भोपाल दिनांक 28-7-18

ई निविदा की सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय नियंत्रक शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री भोपाल के अधीनस्थ शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोंपाल,शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय ग्वालियर,इन्दौर एवं रीवा की मशीनों/उपकरणों कीं आफसेट मूल्य पर दर आमंत्रित की जाती हैं । इच्छुक व्यक्ति विस्तृत जानकारी, शर्ते एवं मशीनों/उपकरणों के निरीक्षण हेतु नियंत्रक/उप नियंत्रक केन्द्रीय मुद्रणालय,भोपाल, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय ग्वालियर/इन्दौर एवं रीवा से कार्यालय समय में सम्पर्क कर सकते हैं अथवा उक्त ई निविदा सूचना को विभाग की वेवसाइड www.govtpressmp.nic.in एवं https//mpeproc.gov.in पर अवलोकन किया जा सकता है।

किसी भी प्रकार का संशोधन/सुधार/परिवर्तन होने की सूचना www.govtpressmp.nic.in एवं https//mpeproc.gov.in पर उपलब्ध रहेगी ।

उप नियंत्रक
वास्ते नियंत्रक,
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
म0प्र0भोपाल

कार्यालय नियंत्रक
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री
भोपाल

क्रमांक जी0बी05(19)2015/ भोपाल दिनांक............

...

शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल एवं शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय ग्वालियर,इन्दौर एवं रीवा में उपलब्ध मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित अनुपयोगी मशीनों/उपकरणों की ई निविदा आमंत्रित की जाती है जिसकी शर्ते निम्नानुसार है :–

1– ई निविदा के निविदाकार राष्ट्रीकृत बैंक से जारी एफ.डी.आर.के रूप में रू. 1,00,000. .(रूपये एक लाख मात्र) धरोहर के रूप में कैशियर के पास अनिवार्य रूप से जमा करना होंगे । जो नियंत्रक मुद्रण तथा लेखन सामग्री भोपाल के नाम से देय होगी ।

2– जिस निविदाकार की दर स्वीकार होगी उसे सूचना दिनांक से सात दिवस में शत प्रतिशत राशि अनिवार्य रूप से जमा करना होगी । विशेष परिस्थिति में यह अवधि बढाई जा सकती है । शत. प्रतिशत राशि जमा कराये जाने पर ही अनुपयोगी मशीनो/उपकरणों को उठाने की अनुमति कंडिका–.3 अनुसार दी जावेगी । यदि शत. प्रतिशत राशि, दी गई समय अवधि में जमा नहीं की जायेगी तो उसकी धरोहर की राशि को राजसात कर लिया जायेगा । स्वीकृत दरों का अन्तिम निर्णय समिति का होगा किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में नियंत्रक का निर्णय अन्तिम मान्य होगा ।

3 – ई निविदा की गई मशीनों/उपकरणों को 15 दिन के अन्दर संबंधित मुद्रणालय से उठाना अनिवार्य होगा । यह अवधि समाप्त होने पर भी मशीनें/उपकरण न उठाने की स्थिति में ई निविदा की कुल राशि की 05 प्रतिशत राशि प्रति सप्ताह के हिसाब से गोदाम किराये के रूप मे अतिरिक्त भुगतान करना होगी ।

4– ई निविदा में अनुपयोगी मशीनों/उपकरणों का उचित मूल्य न मिलने पर समिति के अधिकारियों को बिना कारण बताये नीलामी की बोली अस्वीकृत करने का अधिकार होगा निविदाकार को प्रत्येक मशीन/उपकरण का पृथक–पृथक दर देनी होगी ।

5– धरोहर राशि को दो सप्ताह के भीतर उन निविदाकारों को वापस कर दी जावेगी जिसकी निविदा अंन्तिम नहीं होगी ।

6– जिस व्यक्ति की निविदा स्वीकृत होगी उसकी धरोहर की राशि में से यदि शासन को कुछ लेना शेष होगा तो वह धरोहर की राशि में से काटकर शेष राशि पूरी मशीनें उठाने के दिनांक से 30 दिन के अन्दर वापस कर दी जावेगी ।

..2..

7— नीलाम की गई मशीनों/उपकरणों पर स्वीकृत बोली वाले को नियमानुसार देय वाणिज्यिक कर सरचार्ज एवं अन्य कर अदा करना होगा या उसे स्वयं वहन करना होगा ।

8— निविदा में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति/व्यवसायी जो मशीनों/उपकरणों की नीलामी तिथि से पूर्व देखना चाहते हैं वे किसी भी कार्यालयीन दिवस एवं समय में शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय ग्वालियर/इन्दौर एवं रीवा में उपस्थित होकर नियंत्रक/उप नियंत्रक से अनुमति प्राप्त कर मशीनों/उपकरणों को देख सकते हैं ।

9— सफल निविदाकारों को अनुपयोगी मशीनों/उपकरणों को संबंधित मुद्रणालयों से उठाना होगा इसमें लोडिंग तथा अनलोडिंग के संबंध में कोई अतिरिक्त व्यय स्वीकार नहीं होगा ।

10— मशीनें/उपकरण जैसी है,जहां है उसी हालत में स्वीकृत निविदा वाले को इन्हें उठाना होगा ।

11— किसी भी प्रकार की अन्य शर्त व्यवसायी द्वारा तय मान्य नहीं होगी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र भोपाल होगा ।

12— निविदा का स्थान – .....नियंत्रक शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री भोपाल. दिनांक . 9–8–2018 समय 11.00 बजे

उप नियंत्रक,
वास्ते नियंत्रक
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
म0प्र0,भोपाल।

निविदाकर्ता फर्मो द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है

1– फर्म स्थापित होने के स्वरूप फर्म स्थापना का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र ।

2– निविदाकार/फर्म स्वामी के पेन कार्ड की छायाप्रति ।

3– जी.एस.टी.प्रगाण पत्र की छायाप्रति ।

4– संस्था द्वारा जमा किए गए टैक्स एकनॉलेजमेंट (विगत दो वर्षो का) प्रमाणित प्रति ।

5– निविदा निक्षेप राशि रूपये 1,00,000/– के रूप में एफ.डी.ओर. उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल के नाम से तैयार कर प्रस्तुत करना होगा ।

6– टेण्डर डिपाजिट राशि रूपये 1000/– के रूप में डी.डी.उप नियंत्रक केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल के नाम से तैयार कर प्रस्तुत करना होगा ।

7– निविदा की शर्तो पर सहमति स्वरूप एवं पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर निविदाकर्ता को करना अनिवार्य है ।

8– इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा कि निविदाकर्ता फर्म राज्य/केन्द्र शासन के किसी कार्यालय में प्रतिबंधित/ब्लैक लिस्टेट नहीं है

उप नियंत्रक,
वास्ते नियंत्रक
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री
म0प्र0भोपाल